न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, केकड़ी

(पीठासीन अधिकारी–दिनेश धाकड़, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :– 65 / 2023(पुरानी–01 / 2023)
प्रविष्टि दिनांकः– 27.10.2023(पुरानी–04.01.2023)
निर्णय दिनांक :– 08.04.2024

::–उनवान–::

1. **ओमप्रकाश पुत्र आनन्दी दास जाति साधु (वैष्णव) नि0 नागोला तहसील भिनाय जिला केकड़ी**

–अपीलान्ट

बनाम

2. **नायब तहसीलदार, नागोला तह0 भिनाय जिला केकड़ी राजस्थान**

–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0ले0रे0एक्ट विरूद्ध निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार नागोला दिनांक 03.11.2021 धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :
1. श्री हनुमान प्रसाद शर्मा, अभिभाषक अपीलान्ट्स
2. श्री बद्रीलाल मीणा, नायब तहसीलदार राजकीय पेरोकार रेस्पोडेण्ट

::–निर्णय–:: **दिनांक 08.04.2024**

1. अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार नागोला ने अपने आदेश दिनांक 03.11.2021 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि खसरा नम्बर 1437 रकबा 0.17 हैक्टेयर में से 0.02 है0 किस्म बारानी वाके ग्राम नागोला तहसील भिनाय पर अतिक्रमण मानकर शास्ति कायम कर भूमि से बेदखल कर आर्थिक दण्ड की सजा से दण्डित किया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार नागोला के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

2. प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिये सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। पत्रावली न्यायालय अति0 जिला कलक्टर अजमेर से स्थानान्तरित होकर नवगठित जिला केकड़ी के न्यायालय अति0 जिला कलक्टर केकड़ी में दर्ज की गयी।

3. प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय पेरोकार की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि

(दिनेश धाकड़)
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी

(1) विद्वान नायब तहसीलदार, नागोला का निर्णय दिनांक 03.11.2021 विरूद्ध न्याय नियम एवं रिकॉर्ड काबिल होने से निरस्तनीय है। अपीलान्ट को विधिवत नोटिस तामील कराये, सुनवायी व साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बगैर अंतर्गत आदेश अपील द्वारा अतिक्रमी होना मानकर बेदखल करने के आदेश पारित करने में भारी भूल की है।

(2) विवादित मंदिर श्री चारभुजाजी महाराज की खातेदारी की भूमि है जो राजस्व रिकॉर्ड में मंदिर के नाम दर्ज है तथा अपीलान्ट व उनके पूर्वज मंदिर के पुजारी है जो सेवा पूजा के एवज में मंदिर भूमि पर पक्के मकान बनाकर निवास करते चले आ रहे है एवं मंदिर ओर से काश्त करते चले आ रहे है इसलिए अपीलान्ट अतिक्रमी नहीं है।

(3) विद्वान नायब तहसीलदार, नागोला का निर्णय दिनांक 03.11.2021 साईकिलो स्टाईल प्रप्त्र में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुये निर्णय पारित किया है ऐसा निर्णय, निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है इसलिये उक्त निर्णय निरस्त योग्य है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत सिवायचक आराजी पर अतिक्रमी को बेदखल किये जाने के प्रावधान तहसीलदार महोदय को प्रदत्त किये गये है इसलिए आराजी, सिवायचक आराजी नहीं बल्कि मंदिर श्री चारभुजाजी महाराज की भूमि है तथा अपीलान्ट एवं उनके पूर्वज सेवा करते चले आ रहे है तथा उक्त आराजी पर मकान बनाकर परिवार सहित निवास कर रहे है।

(4) विद्वान नायब तहसीलदार, नागोला का निर्णय दिनांक 03.11.2021 पटवारी हल्का की एकपक्षीय रिपोर्ट पर पारित किया गया है तथा पटवारी हल्का द्वारा उक्त रिपोर्ट को विटनस बॉक्स में साबित नहीं कराया गया इसलिए निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।

(5) विद्वान नायब तहसीलदार, नागोला का निर्णय दिनांक 03.11.2021 साईकिलो स्टाईल प्रप्त्र है जिस पर अपीलान्ट को किस खसरा नम्बर एवं कितने रकबे से बेदखल किया जा रहा है जो निर्णय में स्पष्ट नहीं है केवल तीन जगह रिक्त स्थान की पूर्ति की गयी है ऐसा निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है।

4. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय पेरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि सम्मन की अपीलान्ट पर विधिवत तामिल हुई है। अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है। नायब तहसीलदार अतिक्रमित भूमि पर धारा 91 एल.आर.एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिये सक्षम है।अतः नायब तहसीलदार नागोला का आदेश दिनांक 03.11.2021 सही पारित किया गया है। इस प्रकार अपीलांट की अपील प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

5. **हमनें अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/रिकॉर्ड का अवलोकन किया। नायब तहसीलदार नागोला के नोटिस की राकेश कुमार पर तामिल होना पाया गया एवं राकेश कुमार ही न्यायालय नायब तहसीलदार नागोला में उपस्थित होना पाया गया। अतिक्रमी अपीलांट श्री ओमप्रकाश का राकेश कुमार से क्या संबंध है इसका कही भी जिक्र नही है। इस प्रकार प्रकरण में अपीलांट ओमप्रकाश पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार नागोला के नोटिस की विधिवत तामिल नही होना प्रकट आया है।**

(दिनेश धाकड़)
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी

6. वादग्रस्त अतिक्रमित भूमि मंदिर श्री चारभुजा जी महाराज के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। राजस्थान सरकार, राजस्व ग्रूप 6 विभाग के परिपत्र क्रमांक 5 दिनांक 12.09.2018 के बिन्दु सं. 5 के अन्तर्गत मंदिर के नाम दर्ज भूमि के अतिक्रमण के मामलों में तहसीलदार अतिक्रमी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु अधिकृत एवं सक्षम है।

7. **नायब तहसीलदार नागोला के आदेश दिनांक 03.11.2021 प्रकरण सं. 190/2021 से संबंधित पत्रावली के अवलोकन से जाहिर आया कि नायब तहसीलदार नागोला द्वारा प्रिन्टेड आदेशिका साईकिलो स्टाइल प्रपत्र रूप में निर्णय/ आदेश किया जाना प्रकट होता है। न्यायालय नायब तहसीलदार नागोला को निर्णय सुनवाई कर गुण अवगुण के आधार पर पारित किया जाना चाहियें।**

8. **अपीलांट की अपील प्रार्थना पत्र अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0ले0रे0एक्ट विरूद्ध निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार नागोला दिनांक 03.11.2021 धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार नागोला को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटस को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुयें प्रकरण में गुण अवगुण के आधार पर निर्णय पारित करे।**

निर्णय आज दिनांक 08.04.2024 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिनेश धाकड़)
अति. जिला कलक्टर,
केकड़ी

अति. जिला कलक्टर, केकड़ी